



(६५)
ग्रामराजी | अशोकनगर | भू-राजस्व | 2017/225
न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश गवालियर

प्रकरण क्रमांक

/2017/निगरानी

क्रमांक २२५
वारा आज दि १२-७-१७ को
प्रसरत
मूल्य ००
प्रकरण क्रमांक १२२५
मूल्य ००

S.L.Dhawal Ad.
16/7/17

इन्द्र सिंह, पुत्र श्री अनूप सिंह यादव
आयु -47 वर्ष, व्यवसाय - कृषि,
निवासी - ग्राम सिलपटी, तहसील
ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
हाल निवास - कौलारस, जिला शिवपुरी
(म0प्र0) — आवेदक

विरुद्ध

चिन्दू पुत्र श्री पुन्ना धोबी (मृतक)
द्वारा वारिसान —

1. बृजेश स्व0 श्री चिन्दू धोबी
 2. कबूला स्व0 श्री चिन्दू धोबी
 3. भानू स्व0 श्री चिन्दू धोबी
- समरत निवासीगण ग्राम सिलपटी,
तहसील ईसागढ़, जिला — अशोकनगर
(म.प्र.) — अनावेदकगण

न्यायालय / कार्यालय राजस्व निरीक्षक, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदानी हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक चिन्दू पुत्र श्री पुन्ना धोबी, ग्राम सिलपटी, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, जो कई वर्षों पूर्व उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के उपरांत भी फर्जी हस्ताक्षर एवं नाम से सीमांकन हेतु दिनांक 23.05.2017 को प्रस्तुत किया गया, जो संलग्न रिकॉर्ड से स्पष्ट है।

प्र.क. तीन-निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2251

11-12-18

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 27 अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21-6-17 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई-योग्य नहीं रही है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 में हुये सँशोधन अनुसार राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी को व्यक्ति व्यक्ति के आवेदन पर सुनवाई के अधिकार दिये गये हैं। तदनुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है।



सदस्य